

# प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना

- यह योजना, 25 सितंबर, 2017 को शुरू की गई थी
- यह देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शेष सभी विद्युतीकृत घरों में अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन द्वारा सभी को ऊर्जा पहुंच प्रदान करता है। योजना का लक्ष्य 2019 तक सभी के लिए 24x7 बिजली प्राप्त करना है।

## लाभ

सौभाग्या के तहत बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क या शुल्क नहीं है

- गैर-गरीब परिवारों को रुपये की 10 किस्तों का भुगतान करना होगा। हर महीने बिल के साथ 50 (कुल रु। 500)।

• बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं है  
सौभाग्य के तहत, आवश्यक होने पर पोल, कंडक्टर इत्यादि के निर्माण सहित निकटतम पोल से एक सर्विस केबल खींचकर घरेलू कनेक्शन तक बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे।

- इसमें ऊर्जा मीटर की स्थापना, एलईडी बल्ब के साथ एकल बिंदु वायरिंग, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और स्विच आदि शामिल हैं, जो उपयोगकर्ता को किसी भी कीमत पर उपलब्ध नहीं हैं।

• हालांकि, अगर घर में अधिक पावर पॉइंट का उपयोग करने की इच्छा है, तो अतिरिक्त वायरिंग और उपकरणों आदि को घर में ही व्यवस्थित करना होगा

- प्रत्येक घर और उपभोक्ता को खपत के अनुसार भुगतान करना होगा, जो कि मीटर की खपत के आधार पर DISCOM के टैरिफ के अनुसार होगा

• किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

- दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों के लिए जहां ग्रिड विस्तार संभव नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है, एसपीवी आधारित स्टैंड-अलोन प्रणाली प्रदान की जाएगी। इस तरह के घरों में 5 एलईडी बल्ब, 1 डीसी पंखा और 1 डीसी पावर प्लग मुफ्त दिया जाएगा।

## पात्रता मापदंड

• ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में गरीब असिंचित घरों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार बिजली कनेक्शन के लिए पात्र हैं।

• नागरिक सौभाग्य के तहत नया कनेक्शन लेने के लिए पात्र नहीं होगा, अगर बिजली के बिल के भुगतान में चूक के कारण पहले का कनेक्शन काट दिया गया था और बकाया अब भी बकाया है या आज तक भुगतान नहीं किया गया है

## आवेदन कैसे करें

- क्षेत्र के डिस्कॉम गांवों / गांवों के समूह में शिविरों का आयोजन करेगा और इस तरह के शिविरों के बारे में पूर्व सूचना व्यापक रूप से प्रचारित की जाएगी
- नागरिकों को शिविर में केवल DISCOM अधिकारियों से संपर्क करना होगा और कनेक्शन के लिए आवेदन को मौके पर पंजीकृत करना होगा
- बिजली कनेक्शन को डिस्कॉम द्वारा उचित सत्यापन के बाद जारी किया जाएगा
- आवश्यक मार्गदर्शन के लिए निकटतम DISCOM कार्यालय से संपर्क करके शिविर के बारे में जानकारी भी मांगी जा सकती है

## आवश्यक दस्तावेज़

पहचान का कोई भी प्रमाण जैसे वोटर आईडी / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / राशन कार्ड / आधार कार्ड आदि बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त है

## किसी भी प्रश्न के लिए

वेबसाइट - -“[Saubhagya.gov.in](http://Saubhagya.gov.in)”